न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 109/2022 राजस्व अपील

1. रतनलाल उम्र 82 वर्ष पुत्र हरचन्दा जाति मीना निवासी रामबास तहसील बसवा जिला दौसा।

<u>अपीलान्ट</u>

<u>बनाम</u>

1. **राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।**

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार बसवा दिनांक 6.4.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रतनलाल प्रकरण संख्या 1/2022 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट</u>

उपस्थिति : श्री अब्दुल मजीद खान, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

<u>:– निर्णय :–</u> दिनांक: .07.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि खसरा संख्या 113 रकबा 0.07 है. पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। उक्त **प्रकरण दर्ज होने पर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है** उसमें अपीलान्ट की विधिवत तामील भी नहीं हुई है। बल्कि अपीलान्ट के पुत्र सुरेश मीना की तामील के आधार पर दिनांक 6.4.2022 को निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की विधिवत तामील हुये बिना एवं जवाब व सूबत का मौका दिये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के अवैध आदेश** पारित कर दिये। तहसीलदार बसवा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 6.4.2022 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिव[illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ [illegible] पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को ना [illegible] तामील हुई और न ही कोई सुनवाई व सबूत का मौका अपीलान्ट को मिला। जबकि [illegible] जैसे मुकदमे में अपीलान्ट की स्वयं की तामील होना आवश्यक है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलान्ट का चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपील[illegible] को पटवारी हल्का से [illegible] का मौका भी नहीं दिया गया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का कोई निर्णय व सबूत न होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 13:20:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का ऐचेडी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में श्री रतनलाल पुत्र हरचन्दा जाति मीना निवासी रामबास द्वारा ग्राम रामबास तहसील बसवा स्थित चरागाह भूमि खसरा संख्या 113 रकबा 1.90 है. में से 0.07 है. भूमि पर बाडा बनाकर, छप्पर, उपले, बलीता रखकर अतिक्रमण किया जाना एवं कैफियत मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना एवं पूर्व में ग्राम से स्कूल आने–जाने के रास्ता में बाडा बनाकर अतिक्रमण कर रास्ता खत्म कर दिया जाना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस की तामील प्रति में तामील कुनिन्दा द्वारा **नोटिस की एक प्रति रतनलाल के सामने उसके पुत्र सुरेश मीना को दिया जाना अंकित किया** गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.4.2022 के द्वारा तीन माह के सिविल कारावास की सजा व लगान 0.63 के 50 गुना राशि 32 रूपये की शास्ति से दण्डित किया गया है तथा अपीलान्ट को अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश जारी किये गये है। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम रामबास तहसील बसवा के खसरा संख्या 113 रकबा 0.07 है. पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जावे तो मै स्वयं मजदूर लगाकर हटवा दूंगा, **क्योंकि मैं चलने फिरने में असमर्थ हुं। श्रीमान तहसीलदार बसवा को भी अतिक्रमण हटाने का** पूर्ण अधिकार है। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अतिक्रमण हटवाने के लिये तैयार हूं। जिस पर तहसीलदार बसवा से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक राजस्व/22/1045 दिनांक 19.5.2022 में संलग्न मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 113 रकबा 1.90 है. किस्म चरागाह भूमि में से 0.07 है. भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जवाब बहस में पुनः निवेदन किया गया कि अपीलान्ट 82 वर्ष **का वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है जो चलने फिरने में समर्थ नहीं है। राजस्व अधिकारियों द्वारा** बिना मौके पर पहुंचे ही रिपोर्ट प्रेषित की गई है। सरपंच ग्र ाम पंचायत ऐचेडी पंचायत समिति बसवा की रिपोर्ट दिनांक 20.5.2022 के अनुसार प्रश्नगत चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है। उक्त जगह पर कोई कब्जा अतिक्रमण नहीं है। फिर भी यदि कोई अतिक्रमण पाया जावे तो उसे हटा दिया जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19.5.2022 में प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना व्यक्त किया है। किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की उम्र 82 वर्ष एवं बीमार व्यक्ति होना व्यक्त करते हुये प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जावे तो उसे हटाये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.4.2022 में से सिविल कारावास की सजा को स्थगित किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत राजकीय भूमि [illegible] का निरीक्षण कर मौके पर यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल [illegible] वाये जाने हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 13:20:28 IST
Reason: SelfAttested

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official